(ई मेल)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन बल प्रमुख) वित्त / बजट शाखा मध्यप्रदेश भोपाल
दूरभाष-0755-2674286 / फेक्स-0755-2674286 ईमेल-apccfbgt@mp.gov.in

क्रमांक / बजट / 2019 / 5026 भोपाल / दिनांक 24/9/19

प्रति,

1. अपर प्रधान मुख्य वन सरक्षक(कार्य आयोजना)आंचलिक, भोपाल ।
2. समस्त मुख्य वन संरक्षक(क्षेत्रीय), मध्यप्रदेश ।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक(अनुसंधान एवं विस्तार) मध्यप्रदेश ।
4. समस्त क्षेत्र संचालक(राष्ट्रीय उद्यान) मध्यपदेश ।

विषयः- **बजट प्रावधान एवं वित्तीय नियमों का पालन किए जाने बाबत ।**

--0--

विभाग के अंतर्गत निर्मित विभिन्न स्तर की आडिट कंडिकाओं के उत्तर संबंधित वन मण्डलाधिकारियों व्दारा आपकी अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्रेषित किए जाते हैं तथा वन मण्डलाधिकारी के उत्तर की सार्थकता अनुसार आपकी अनुशंसा से उस आडिट पैरा के निराकरण बाबत निर्णय मुख्यालय एवं शासन स्तर पर लिए जाते हैं ।

वन मण्डलाधिकारी व्दारा आपको आई.आर. / आंतरिक लेखा परीक्षण आदि की जानकारी दी जाती है जिसका परीक्षण किया जाकर निर्णय लिए जाते हैं । कई बार देखने में आता है कि ली गई आपत्तियों का उत्तर समाधानकारक नहीं होता है । अतः इस पृथा पर नियंत्रण हेतु निम्नानुसार निर्देश पालनार्थ दिए जा रहे हैं:-

1. बजट जिस मद हेतु आवंटित किया जा रहा है उसी मद में उसका उपयोग हो रहा है अथवा नहीं ?
2. सामग्री क्रय में भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं ?
3. 12 मजदूरी मद से सामग्री क्रय / अन्य कार्यो में व्यय तो नहीं किया जा रहा है ?

यदि बजट प्रावधान एवं वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया गया है तो जिस स्तर से इस कार्य में लापरवाही बरती गई है उस स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही करें । यदि मुख्यालय स्तर से कार्यवाही की जाना है तो उत्तरदायित्व निर्धारित कर इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि मुख्यालय से इस संबंध में उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही संपादित की जा सके ।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें ।

24/9/19

(बिभाष कुमार ठाकुर)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वित्त / बजट)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ0क्र0 / बजट / 5027 भोपाल / दिनांक 24/9/19

प्रतिलिपिः-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(सू0 / प्रौ0))आंचलिक, म0प्र0 भोपाल को प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया इस पत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें ।
2. समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी,म0प्र0 वन विभाग,मध्यप्रदेश को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

24/9/19

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वित्त / बजट)
मध्यप्रदेश भोपाल ।